

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 21 नियम 6,7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार जिला चित्तौडगढ

पैदासीन अधिकारी:- बनवारी लाल पटीर आर.ए.एस.

कन्हैयालाल पिता मगनीराम जाति मेनारिया उम्र 70 वर्ष निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ राज0। —वादी	बनाम	1- रूपलाल पिता छगनलाल जाति मेनारिया उम्र वयस्क निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ राज0। 2- देवीलाल पिता रूपलाल जाति मेनारिया उम्र वयस्क निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ राज0। 3- तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौडगढ राज0। —प्रतिवादीगण
---	------	--

वाद वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 136/2015 रेवेन्यू वाद

वादीगण की ओर से बंशीलाल गर्ग एवं हेमन्त गर्ग अधिवक्ता की और प्रतिवादीगण की ओर से विट्ठल प्रसाद शर्मा एवं कन्हैयालाल वैष्णव अधिवक्ता की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक 31.10.2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि, प्रतिवादी सं. 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद-पत्र क्षेत्राधिकार के आधार पर आदेश 7 नियम 11 (घ) जा0दी0 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे।

और इस वाद के खर्चे पर.....x.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....x..... को दी जावें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.10.2017 को जारी की गई।



वाद के खर्चे

राशि	प्रतिवादी	राशि
1-स्टाम्प वाद पत्र	-	-
2-स्टाम्प वकालतनाम	-	-
3-प्रदर्श के लिए स्टाम्प	-	-
4-प्लीडर की फीस	-	-
5-गवाह का निर्वाह व्यय	-	-
6-कमिश्नर फीस	-	-
7-आदेशिका की लागत	-	-
8-विविध	-	-

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगरार
जिला चित्तौडगढ राजस्थान

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगरार
जिला चित्तौडगढ राजस्थान